बाल सुरक्षा
सामुदायिक आचार संहिता

यह आचार संहिता उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जो काउंसिल की सुविधा या सेवा का उपयोग करते हैं, जिसमें सिटी ऑफ़ पैरामाटा काउंसिल के प्रारंभिक अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र और परिसर, मनोरंजन केंद्र और किराये के स्थान शामिल हैं।

काउंसिल के बाल सुरक्षा फ़्रेमवर्क के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

काउंसिल की सुविधा या सेवा का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को नीचे बताई गई बातों का पालन करना होगा:

- ✔ बच्चों और युवाओं के साथ सम्मान से पेश आना और उनके विचारों और उनकी राय को महत्व देना।
- ✔ बच्चों और युवाओं के साथ अपने आचरण में सकारात्मक रोल मॉडल अपनाना।
- ✔ बच्चों या युवाओं के साथ किसी भी अनावश्यक शारीरिक संपर्क से बचना।
- ✔ अगर किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का तात्कालिक खतरा हो, तो - 000 पर पुलिस को फ़ोन करें।
- ✔ किसी बच्चे या युवा को गंभीर नुकसान पहुँचने का समुचित आधार पर संदेह होने पर, काउंसिल के किसी कर्मचारी या 132 111 पर बाल संरक्षण हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।

काउंसिल की सुविधा या सेवा का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को नीचे बताए गए कार्य नहीं करने होंगे:

- ✖ बच्चों या युवाओं को शर्मिंदा करना, अपमानित करना, उनका उत्पीड़न करना, उन्हें तुच्छ दिखाना या नीचा दिखाना।
- ✖ किसी बच्चे के साथ भेदभाव करना।
- ✖ किसी बच्चे या युवा के साथ ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होना, जिससे उन्हें शारीरिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचने की संभावना हो।
- ✖ बच्चे के सामने अपने कपड़े उतारना या अपने अंगों का प्रदर्शन करना।
- ✖ बच्चे के साथ छेड़खानी करना, या यौन इशारे करना या कोई यौन संकेत देना।
- ✖ यौन प्रकृति के चुटकुले सुनाना या इशारे करना।
- ✖ अपनी जरूरतों के लिए किसी खास बच्चे या युवा के साथ 'विशेष' संबंध स्थापित करना।
- ✖ अपनी देखभाल या जिम्मेदारी में शामिल बच्चों के अलावा अन्य बच्चों या युवाओं के साथ ऑनलाइन संपर्क सहित संपर्क स्थापित करना।
- ✖ बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति के बिना बच्चे या युवा का फ़ोटो लेना या उनका वीडियो बनाना।
- ✖ बच्चों की उपस्थिति में परिपक्व या वयस्क प्रकार की खुली चर्चा करना।
- ✖ बच्चों की उपस्थिति में अनुचित भाषा का इस्तेमाल करना।
- ✖ बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करना।
- ✖ अपनी देखभाल या जिम्मेदारी से बाहर किसी बच्चे के साथ अनावश्यक संपर्क बनाना।
- ✖ चेंजरूम या शौचालय में फ़ोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना।
- ✖ किसी बच्चे या युवा की सहमति के दायरे से बाहर छवि या जानकारी रिकॉर्ड करना, स्टोर करना या वितरित करना।
- ✖ दुर्व्यवहार से संबंधित रिपोर्ट को दबाना या उसे हतोत्साहित करना

PARRAMATTA